राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्रम पंचायत टोगी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत टोगी

निर्णय दिनांकः– 25.05.2015

1. श्री दीपसिहं उर्फ दीपाजी पिता पूरणसिंह उर्फ पुराजी जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
2. श्री केसरसिहं उर्फ केसाजी पिता पूरणसिंह उर्फ पुराजी जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
3. श्री जैठसिंह उर्फ जेठाजी पिता पूरणसिंह उर्फ पुराजी जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम

बनाम

1. श्री प्रतापसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
2. श्री भूरसिंह पिता अमरसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
3. श्री करमसिंह पिता चाम्पसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
4. श्री मोहनसिंह पिता टीलसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
5. श्री दिलीपसिंह पिता टीलसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
6. नोजी बेवा टीलसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
7. अर्जा पिता हीरा रावत निवासी टोगी तहसील भीम
8. वरदासिंह पिता हीरासिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
9. श्री मकनसिंह पिता लखनसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
10. श्री मदनसिंह पिता लखनसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
11. श्रीमति केशी बेवा लखनसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
12. श्री किशनसिंह पिता भादुसिंह उर्फ भादाजी रावत निवासी टोगी तहसील भीम

प्रकरण संख्या :– 97/2014 रे.वा. **अन्तर्गत धाराः– 88,89 व 188 आर.टी.ए**

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व व आदिपत्य का कुआ चाह नम्बर 1700 रकबा 03 विस्वा किस्म गै0मु0चाह ग्राम टोगी में अवस्थित है। उक्त चाह नम्बर 1700 मे से वादीगण का 1/2 हिस्सा पिढियो से वादीगण उक्त कुए चाह खसरा नम्बर 1700 से अपने खेतो को पानी पिलाते आ रहे है। मौजा टोगी चकला भीम की खतोनी जमाबन्दी जिला मेवाड मेरवाडा सन 1350 फसली जो कि वर्तमान में मौजा टोगी तहसील भीम में स्थित है। जमाबन्दी के सिलसिला नम्बर खाता खतौनी संख्या 29 साबिक नम्बर 1262 रकबा 3 विस्वा गै0मु0चाह वादीगण के पूर्वज श्री सिंगा 4 हिस्सा व प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री सादा4 हिस्सा में वल्दियत कोमियत व सकूनत दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा वादपत्र के साथ संलग्न है।

यह कि सैटलमेन्ट में जो बाद मे हुआ था उस सेटलमैन्ट में उपरोक्त वर्णित खातेदार श्री सिंगा के वारिस पूरण पिता नेतसिंह का नाम जमाबन्दी में आना चाहिये था। पुरानी एन्ट्री को ही सैटलमैन्ट अधिकारियो द्वारा रिपिट करना था। किन्तु सैटलमैन्ट के कर्मचारियो द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रतिवादीगण के पूर्वजो से मिलाभक्ती कर उक्त चाह में से वादीगण के पूर्वज पूरणसिंह उर्फ पूरा, श्री नेतसिंह उर्फ नेता का नाम खसरा मिलान के पत्रक में कमल संख्या 23 में दर्ज किया गया था किन्तु खसरा मिलान के पत्रक में 24 से नाम काट दिया गया। तथा इस कारण उसके बाद बनी जमाबन्दियो में वादीगण के पूर्वजो तथा प्रतिवादीगण का नाम उक्त चाह में दर्ज नही हुआ। जबकि उक्त चाह में से अपने हिस्से का वादीगण बदस्तुर लगातार अपनी भूमि को सिंचाई करने में उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

यह कि इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित चाह आराजि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है किन्तु सेटलमैन्ट की गलती के कारण आगे की जमाबन्दियो में इन्द्राज नही किये जाने से वादीगण का नाम दर्ज नही हुआ जबकि वादीगण का नाम 1/2 हिस्सा तथा जमाबन्दी में नाम आना चाहिये था किन्तु सहवन से वादीगण का नाम उक्त चाह नम्बर से हट गया। दर्ज कराना आवश्यक है। वादीगण का 1/2 हिस्सा पिढियो से हिस्सा है तथा पिढियो से उक्त कुए लगातार अपने खेतो को पानी पिलाते चले आ रहे है। अतः ग्राम थानेटा में स्थित वादीगण के खेत के आराजी खंसरा नम्बर 1530, 1536, 1537, 1539, 1540 उक्त चाह के आराजी संख्या 1700 से सिंचित है। तथा आज भी फसल को पानी पिलाया जा रहा है। सैटलमैन्ट कर्मचारियो की गलती से सैटलमेन्ट के समय हुई गलती के कारण बाद वाली जमाबन्दियो में वादीगण का नाम उक्त कुएं में चाह दर्ज नही किया गया। जिसका फायदा प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त कुएं चाह से बेदखल करने को आमदा है। वादीगण के खेतो से पानी नही पिलाने देंगे इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व निषेघाज्ञा का वादपत्र लाना आवश्यक हो गया है।

यह कि सेटलमैन्ट के बाद की जमाबन्दियो में उक्त चाह आराजी नम्बर 1700 के 1/2 हिस्से का अंकन प्रतिवादीगण के नाम होना चाहिये था इस वजह से वादीगण ने इतने अरसो तक उक्त चाह का अंकन अपने नाम पर होना समझ कर उनके कब्जे में कभी किसी व्यक्तियों द्वारा दखल नही करने से शान्तिपुर्वक चाह जैरबहस से अपने खेतो को पानी पिलाते चले आ रहे है। लेकिन हाल ही जब प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कहा कि उनकी मोटर कुएं से निकाले उनका कुएं में हिस्सा नही है। वादीगण द्वारा जिला कार्यालय राजसमन्द से तमाम रिकार्ड निकलवाया तो जानकारी में सेटलमेन्ट के वक्त गलत अंकन

सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी

होकर वादीगण का हिस्सा उक्त चाह से हट गया है। दुरूस्त करवाना अनिवार्य है। वादीगण ने साबिक खसरा व हाल खसरा के मिलान खसरा प्राप्त किया जिसमें गलत अंकन होना स्पष्ट जाहिर है दुरूस्ती कराना आवश्यक है। प्रतिवादीसंख्या 12 श्री किशनसिंह का भी वादग्रस्त चाह में वादी के रूप में अधिकार है। किन्तु प्रतिवादी के बाहर रहने से वाद में सकिय भूमिका अदा करने में असमर्थ रहने के कारण प्रोफोर्मा प्रतिवादी बनाया गया। वादीगण का वाद पत्र पेश करने की बिनाय मुखास्मत सर्व प्रथम सेटलमेन्ट के बाद की जमाबन्दियो में उक्त चाह में वादीगण का 1/2 हिस्सा नाम दर्ज न करके पूरी चाह प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी । व आखिरी बार आज से 1 माह पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बताने पर उक्त चाह कुआं में उनका हिस्सा नही है। तब वादीगण द्वारा उक्त रिकार्ड की नकले लेकर गलत इन्द्राजो की जानकारी वादीगण को हुआ तब से लगातार जारी है। अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस प्रकार की डिगरी प्रदान की जावे की वादप्रत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित चाह आराजी नम्बर 1700 में से वादीगण को 1/2 हिस्सेदार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

अतः वादीगण का वादपत्र दर्ज किया जाकर विधिवत सुनवाई की गई एवं समस्त राजस्व सम्बन्धित दस्तावेजो का अवलोकन करने पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प टोगी में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि मौजा टोगी के जमाबन्दी के सिलसिला के चाह नम्बर 1700 रकबा 3 विस्वा गै.मु.चाह में वादीगण का 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाकर निर्णय सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमंद

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

अन्तिम डिगरी

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास श्री नरेन्द्र कुमार जैन आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम।

1. श्री दीपसिहं उर्फ दीपाजी पिता पूरणसिंह उर्फ पुराजी जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
2. श्री केसरसिहं उर्फ केसाजी पिता पूरणसिंह उर्फ पुराजी जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
3. श्री जैठसिंह उर्फ जेठाजी पिता पूरणसिंह उर्फ पुराजी जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम

बनाम

1. श्री प्रतापसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
2. श्री भूरसिंह पिता अमरसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
3. श्री करमसिंह पिता चाम्पसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
4. श्री मोहनसिंह पिता टीलसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
5. श्री दिलीपसिंह पिता टीलसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
6. नोजी बेवा टीलसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
7. अर्जा पिता हीरा रावत निवासी टोगी तहसील भीम
8. वरदासिंह पिता हीरासिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
9. श्री मकनसिंह पिता लखनसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
10. श्री मदनसिंह पिता लखनसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
11. श्रीमति केशी बेवा लखनसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम
12. श्री किशनसिंह पिता भादुसिंह उर्फ भादाजी रावत निवासी टोगी तहसील भीम

प्रकरण संख्या :– 97/2014 रे.वा. **अन्तर्गत धारा:– 88,89 व 188 आर.टी.ए**

वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा टोगी के सिलसिला के चाह नम्बर 1700 रकबा 3 विस्वा गै0मु0चाह में वादीगण का 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा फेरीकेन अलग–अलग वहन करेंगे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25 मास मई सन् 2015 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमंद

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमंद

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	Nil	
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् ईजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	4	00	मीजान	शून्य	

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमंद